

हुवम

16.5.23

पत्रावली महंगाई राहत कॅम्प एवं प्रशासन
गाँवों के संग अभियान 2023 शुरु पचायत
बावड़ी में पेश हुई। विपक्षीयता के सम्मन बाद
तामिल लेकर प्राप्त हुए जिसे शाप पत्र किये गये।
प्राथमिकता का धारणा पत्र स्वीकार किया जाकर विपक्ष
पत्रक से लिखा जाकर शाप पत्र किया गया। पत्रावली
के लिए शुमार लेकर नम्बर से कम है।

हुक्मीचन्द रोहलानिया
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

पीठाधीन अधिकारी - हुकमीगण्ड रोहलागिया, अमरापूर एरर
मुकरमा संख्या - 11/23 प्रा०पत्र

1- श्रीमती चन्द्रकांता ओ. श्री गिधाराम गांधी निवासी - गौपालगंज भीलवाडा

वनाम
1- श्रीमती संतोष ओ. श्री गौरीरत्न गांधी निवासी - खिरडिया त० भांडन [वर्ग 1]
(संबंधित प्रा०पत्र संख्या)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक - 16.5.23

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खिरडिया पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 263, 290, 291, 921, 263 कुल किता 04 रकबा 1-6566 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतादायिवा के सीमा विन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 11.01.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम खिरडिया पटवार हल्का बावडी तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की आराजी नं० 263, 290, 291, 921, 263 कुल किता 04 रकबा 1-6566 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू-अभिलेख निरीक्षक मेजा को 700/- रुपये /- कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

हुकमीगण्ड रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023

प्रतिलिपि:- तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

हुकमीगण्ड रोहलागिया
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल
प्रशासन गाँवों के संग अभियान 2023